

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU

New Delhi, Dated 19.04.2024

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.

PCAO/PLW, CAO/RWP & DG/RDSO.

Sub:- Revised entitlement of Hospital Wards for Railway Medical beneficiaries in Railway empanelled Hospitals.

Ref:- Railway Board's letter of even no. dated 20.11.2023.

The issue of revision of entitlement of wards in Railway empanelled hospitals for Railway medical beneficiaries as contained in Para 5 of Memorandum of Understanding (MoU) circulated vide Board's letter of even no. dated 20.11.2023 has been under consideration of this Ministry.

Keeping in view the revised guidelines circulated by M/o Health & Family Welfare, the matter has been examined in consultation with Finance Directorate of this Ministry and it has been decided that revised criteria for entitlement of wards in Railway empanelled hospital for Railway medical beneficiaries will be as under:

S.No.	Corresponding basic pay drawn by the officer in 7 th CPC per month	Entitlement
1.	Upto ₹ 36,500/-	General Ward
2.	₹ 36,501/- to ₹ 50,500/-	Semi-Private Ward
3.	Above ₹ 50,500/-	Private Ward

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(P. M. Meena)
Director/Health
Railway Board

New Delhi, Dated 19.04.2024

No. 2021/H-1/11/10/MoU

Copy to:

1. The PCMDs/PCMOs, All Indian Railways/Production Units & RDSO.
2. The Principal Financial Advisors, All Indian Railways & Production Units & RDSO.

(P. M. Meena)
Director/Health
Railway Board


Contd.....

No. 2021/H-1/11/10/MoU

New Delhi, Dated 19.04.2024

Copy to:

1. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.
2. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.


for Member Finance/Railway Board.

No. 2021/H-1/11/10/MoU

New Delhi, Dated 19.04.2024

Copy to:

1. The General Secretary, NFIR, Room no. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room no. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.


For F(E)D(IR), Railway Board

Copy to: F(E) Spl. Branch Railway Board.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक 19.04.2024

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/पटियाला रेलइंजन कारखाना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/रेल पहिया कारखाना एवं महानिदेशक/अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संसाधन।

विषय: रेल पैनलबद्ध अस्पतालों में रेल चिकित्सा लाभार्थियों के लिए अस्पतालों के वॉर्डों की संशोधित पात्रता।


संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.11.2023 का समसंख्यक पत्र।

बोर्ड के दिनांक 20.11.2023 के समसंख्यक पत्र के तहत परिपत्रित समझौता ज्ञापन के पैरा 5 में यथा अंतर्विष्ट रेल चिकित्सा लाभार्थियों के लिए रेल पैनलबद्ध अस्पतालों में वॉर्डों की पात्रता के संशोधन का मामला इस मंत्रालय में विचाराधीन रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा परिपत्रित संशोधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच करवाई गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि रेल चिकित्सा लाभार्थियों के लिए रेल पैनलबद्ध अस्पतालों में वॉर्डों की पात्रता के लिए संशोधित मानदंड निम्नानुसार होंगे:

क्र.सं.	7वें केंद्रीय वेतन आयोग में अधिकारी द्वारा प्रति माह आहरित तदनुरूपी मूल वेतन	पात्रता
1.	36,500/- रुपए तक	सामान्य वार्ड
2.	36,501/- रुपए से 50,500/- रुपए तक	सेमी प्राइवेट वार्ड
3.	50,500/- रुपए से अधिक	प्राइवेट वार्ड

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।


(पी. एम. मीना)
निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं. 2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक 19.04.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां एवं अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन।

(पी. एम. मीना)

निदेशक/स्वास्थ्य

रेलवे बोर्ड

सं. 2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक 19.04.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

सं. 2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक 19.04.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ एवं आईआरपीओए, कमरा सं. 256-ए एवं 268, रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसएस, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत), कमरा नं. 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.सं.), रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: एफ(ई) विशेष शाखा रेलवे बोर्ड।